प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 02-11-2015 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 02-11-2015 को प्रात: 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. चन्द्रकला पाडिया, कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया (कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर)	अध्यक्ष
2.	डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित माननीय विधायक)	सदस्य
3.	श्री श्रवण सिंह (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार)	सदस्य
4.	प्रो. कैलाश डागा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
5.	डॉ. भुवनेश गुप्ता (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निजी महाविद्यालय प्राचार्य)	सदस्य
6.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
7.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
8.	श्री भंवर सिंह चारण	सदस्य सचिव

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व डॉ. एस.एन.शर्मा ने सदन को अवगत कराया कि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ने उन्हे प्रबन्ध मण्डल में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है। सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 19 में दिए गए प्रावधानानुसार आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रबन्ध मण्डल में अपना प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त नही है। विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्रमुख शासन सचिव-वित्त को ही प्रतिनिधि मनोनयन का अधिकार है। विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 के प्रावधानुसार आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. एस.एन. शार्मा को बैठक में सम्मिलित नही किया जा सकता है। माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने मत व्यक्त किया कि श्री शर्मा को आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा मनोनीत किया गया है, अत: कोई आपत्ति हो तो राज्य सरकार को स्पष्टीकरण हेतु लिखा जावे। डॉ. एस.एन. शर्मा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

माननीय कुलपति महोदया द्वारा प्रबन्ध मण्डल बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई :-

Maharaja Ganga Singh University

N.H. 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004

Tel.: +91-151-2212041, Fax: 0151-2212042, E-mail: registrar@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक : प.07(334)मगंसिविबी/बोम–विशेष/2015/26485-98 दिनांक : 03/11/2015

1. माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
2. डॉ. गोपाल जोशी, माननीय विधायक, बीकानेर–पश्चिम, जोशी होटल, स्टेशन रोड, बीकानेर।
3. डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, माननीय विधायक, खाजूवाला, ई–67–बी, खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर।
4. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
6. आयुक्त–कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
7. डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, 52/80, वीर तेजाजी मार्ग, मानसरोवर, जयपुर
8. प्रो. कैलाश डागा, 216, पोलो–II, पावटा, जोधपुर (राज.)
9. Dr. Arvind Agrawal, Dean, School of Social Science, Central University of Himachal Pradesh, PO Box-21, Dharamshala, Distt.-Kangra (H.P.)
10. Dr. Sanjay Nilkanthrao Lakhepatil, "Shrishail" Lakhepatil Farm House, Opp. Jalna Co-op Sugar Mill, Ramnagar, Tq & Distt. Jalna (Maharashtra)
11. प्रो. एम.एम. सक्सेना, विभागाध्यक्ष–पर्यावरण विभाग, म.ग.सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
12. डॉ. भुवनेश गुप्ता, प्राचार्य–सूरतगढ़ पी.जी. कॉलेज, सूरतगढ़, जिला–श्रीगंगानगर
13. डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण, प्राचार्य–ग्रामोत्थान टी.टी. कॉलेज, संगारिया, जिला–हनुमानगढ़

विषय : प्रबंध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 02/11/2015 का कार्यवाही विवरण प्रेषित करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 02/11/15 को आयोजित प्रबंध मण्डल की विशेष बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही महामहिम राज्यपाल के निर्देशानुसार ए.पी.आई. स्कोर की पुनः कराई गई जांच रिपोर्टस, माननीय उच्च न्याायलय में अनिल कुमार दुलार द्वारा दायर याचिका एवं आशीष पुरोहित मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23/05/2014 की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित हैं। यद्यपि निर्णय दिनांक 23/05/2014 की प्रति प्रबंध मण्डल की बैठक में भी उपलब्ध करा दी गई थी।

भवदीय

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(मंवर सिंह चारण)
कुलसचिव

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-विशेष/2015/327

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 29-10-2015 की पालना में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसियट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा के सम्बन्ध में

एस.बी. सिविल रिट पेटिशन संख्या 6745/2014 श्री अनिल कुमार दुलार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 29-10-2015 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा विश्वविद्यालय में आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 7-9 मार्च, 2014 को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी कर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 02-11-2015 तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को पालना प्रस्तुत की जानी है।

उक्त शैक्षणिक पदों पर चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्रबन्ध मण्डल की 24 वीं बैठक दिनांक 07-06-2014 एवं विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 में प्रस्तुत किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-10-2015 की पालना में विश्वविद्यालय में आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 7-9 मार्च, 2014 को आयोजित साक्षात्कार उपरान्त चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुसंशाओं के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का आदेश ।

<u>निर्णय</u> :- माननीय विधायक डॉ. गोपाल जोशी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का आदेश शिरोधार्य है परन्तु प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 07/06/2014 को मेरे द्वारा अवगत कराया गया कि ''शिक्षकों के चयन संबंधी कार्यवाही के दौरान तत्समय मै प्रबंध मण्डल का सदस्य न होने के कारण चयन प्रक्रिया, चयन समिति सदस्यों की नियुक्ति आदि की जानकारी नहीं होने एवं उक्त प्रक्रिया में भागीदार न होने के कारण हम उक्त चयन समितियों की अनुशंसा का अनुमोदन करने में हिस्सा नही हो सकता। उक्त सुझाव से माननीय सदस्य डॉ. विश्वनाथ (विधायक) द्वारा सहमति प्रदान की गई है''। अत: सात सदस्यों की असहमति में मेरा एवं विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल का नाम जोड़ा जाना उचित नहीं है, ऐसा माननीय डॉ. गोपाल जोशी जी ने सदन को बताया। साथ ही माननीय विधायक ने सदन को अवगत कराया कि पूर्व बैठकों के कार्यवाही विवरण के अनुसार ए.पी.आई. स्कोर पूर्ण नही होने एवं एक पद हेतु तीन गुना से कम अभ्यर्थी होने के कारण साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाना उचित नहीं है। माननीय विधायक सदस्य द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि विश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दलीलें सही प्रकार से पेश नहीं होने के कारण ही संभवत: माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश में यह उल्लेख किया है कि प्रबंध मण्डल के 7 सदस्यों द्वारा Vague and Baseless बिना किसी आधार के असहमति प्रस्तुत की गयी है। माननीय सदस्य के अनुसार माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी अंकित किया है कि विधि अनुसार चयन प्रक्रिया को पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान की जावे। निर्धारित ए.पी.आई. स्कोर पूर्ण नही करने व एक पद पर तीन गुणा से कम अभ्यर्थी होने के कारण ही विधि सम्मत चयन प्रक्रिया नहीं होने के कारण सदस्यों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । साथ ही माननीय सदस्य द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि प्राय: जो याचिकाकर्त्ता होता है उसी को प्रकरण में लाभ प्राप्त होने अधिकार है तथा इस प्रकरण में प्रार्थी श्री अनिल कुमार दुलार सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान का अभ्यर्थी है। माननीय

विधायक सदस्य ने पुन: कहा कि चूंकि वर्ष 2014 में की गई चयन प्रक्रिया के समय प्रबन्ध मण्डल का सदस्य नहीं होने, चयन प्रक्रिया, चयन समिति आदि की जानकारी न होने के कारण मैं चयन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन की प्रक्रिया का हिस्सा नही बनना चाहता।

माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने आपत्ति व्यक्त की कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23/05/2014 की प्रति आज दिनांक तक किसी भी माननीय सदस्य को उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके अभाव में आदेश के अध्ययन के बिना विधिसम्मत् कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। उनके द्वारा डॉ. गोपाल जोशी द्वारा व्यक्त आपत्तियों से भी सहमति प्रकट की गई। प्रो. कैलाश डागा ने सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-10-2015 के विरूद्ध डी.बी. में अपील की जानी चाहिए। उक्त प्रस्ताव पर सदस्य सचिव ने विश्वविद्यालय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक राय को उद्धृत करते हुए अवगत कराया कि यह इन्टरलोक्यूटरी (Interlocutory) आदेश होने तथा समयाभाव के कारण न्यायालय के आदेश की विश्वविद्यालय के अपीलीय अधिकार के अध्याधीन पालना की जा सकती है।

माननीय सदस्य प्रो. डागा ने सदस्य सचिव से जानना चाहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23/05/2014 की प्रति माननीय सदस्यों को कब प्रेषित की गई । सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माननीया राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार लिफाफों को खोलने की अनुशंसा की गई। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23-05-2014 के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि अन्य पदों के साथ कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्रोफेसर पद हेतु प्रार्थी श्री आशीष पुरोहित का परिणाम भी घोषित किया जावे। तद्नुसार प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 में अन्य सभी पदों के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में सहायक आचार्य पद हेतु प्रस्तुत चयन समिति की अनुशंसा भी प्रस्तुत कर दी गई थी, किन्तु प्रबन्ध मण्डल सदस्यों में मत भिन्नता होने के कारण चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यद्यपि आदेश दिनांक 23-05-2014 की प्रति पृथक से उपलब्ध नहीं कराई गई है तथापि प्रबंध मण्डल की 25वीं बैठक दिनांक 22/07/2015 के दौरान टेबल एजेण्डा सं. 318 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-05-2014 के ''ऑपरेटिव पार्ट''का उल्लेख करते हुए ही माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था एवं माननीय सदस्यों द्वारा चाहे जाने पर प्रति उपलब्ध कराई जा सकती थी। प्रबंध मण्डल द्वारा उक्त टेबल एजेण्डा को स्थगित करते हुए मुख्य एजेण्डा के रूप में प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक दिनांक 04/11/2015 में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रो. डागा द्वारा आपत्ति की गई कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-05-2014 की प्रति दिनांक 04-11-2015 को होने वाली प्रबन्ध मण्डल की बैठक के एजेण्डा विवरण के साथ भी संलग्न नहीं है। सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23/05/2014 की प्रति आज की बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष फोल्डर में प्रस्तुत कर दी गई है जो सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रो. डागा ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23/05/2014 की प्रति माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर हुई देरी एवं अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए तथ्यों की जांच हेतु निम्नानुसार समिति गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

1. डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, संयोजक
2. डॉ. दिग्विजय सिंह, सदस्य
3. डॉ. भुवनेश गुप्ता, सदस्य

माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में समस्त शैक्षणिक पदों हेतु चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं पर निर्णय हेतु आज की बैठक में ही लिफाफे खोले जावें। परन्तु माननीय सदस्य प्रो. डागा द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23/05/2014 की प्रति आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होने के कारण आदेश के अध्ययन के अभाव में हम इस प्रक्रिया के भागीदार नहीं बन सकते। अत: जिन सदस्यों को जानकारी प्राप्त है, वे न्यायालय के आदेश की पालना करें। माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने यह भी आपत्ति की कि प्रबंध मण्डल की 25वीं बैठक दिनांक 22/07/2015 में सहायक आचार्य (कम्प्यूटर विज्ञान) पद के अतिरिक्त समस्त शैक्षणिक पदों हेतु चयन समिति की अनुशंसा को प्रबंध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया था जिसकी जानकारी सभवत: माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर को उपलब्ध नही करवाई गई। प्रो. डागा ने कहा कि यदि न्यायालय द्वारा जानकारी चाही गई तो सदस्यों द्वारा तथ्यों से माननीय न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा तथा प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 05/07/2014 की सी.सी.टी.वी. के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करवाई जा सकती है।

माननीय सदस्य प्रो. एम.एम. सक्सेना ने सुझाव दिया कि यदि प्रबंध मण्डल चाहे तो सहायक आचार्य (कम्प्यूटर विज्ञान), जिसमें ए.पी.आई. स्कोर की बाध्यता नही है, के पदों हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं पर विचार किया जा सकता है। शेष पदों में ए.पी.आई. स्कोर की बाध्यता के कारण पुन: समिति का गठन कर ए.पी.आई. स्कोर की जांच करवाने के पश्चात् आगामी कार्यवाही की जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि महामहिम राज्यपाल के आदेश दिनांक 20-06-2014 एवं प्रबंध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 05/07/2014 के निर्णयानुसार अभ्यर्थियों की ए.पी.आई. स्कोर की विषय विशेषज्ञों से पुन: जांच करवा ली गई थी परन्तु तत्समय राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिये जाने के कारण आगे की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सदस्य सचिव ने मत व्यक्त किया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23-10-2015 को विश्वविद्यालय में भर्ती सम्बन्धी रोक हटा ली गई है। अत: शेष पदों, जिनमें ए.पी.आई. स्कोर की बाध्यता है, उन पदों हेतु ए.पी.आई. स्कोर की विशेषज्ञों द्वारा जांच उपरान्त प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की आज ही जांच कर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय 29-10-2015 की पालना में चयन समिति की अनुशंसाओं पर कार्यवाही की जावे। परन्तु शेष सदस्यों द्वारा केवल सहायक आचार्य (कम्प्यूटर विज्ञान) के दो पदों हेतु प्रस्तुत चयन समिति की अनुशंसा पर ही विचार करने का मत व्यक्त किया गया। तदनुसार माननीय कुलपति महोदया द्वारा सहायक आचार्य कम्प्यूटर विज्ञान के दो रिक्त पदों हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा का सीलबंद लिफाफा खोला गया। चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा सदन में पढ़कर सुनाया गया। चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य कम्प्यूटर विज्ञान के दो पदों पर निम्न अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की अनुशंसा की गई :-

1. श्री फौजा सिंह
2. श्री अमरेश कुमार सिंह

प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा गया :-

1. श्री राजेश शर्मा
2. सुश्री पल्लवी पाण्डे

उक्त पदों हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को प्रबंध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय दिया गया।

सदस्य सचिव ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सहायक आचार्य (कम्प्यूटर विज्ञान) के अतिरिक्त शेष पदों हेतु भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज दिनांक को ही (सह आचार्य एवं आचार्य) चयन समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने का अनुरोध किया। माननीय अध्यक्ष महोदया ने कहा कि महामहिम राज्यपाल महोदया के आदेशानुसार ए.पी.आई. स्कोर की जांच विशेषज्ञों के माध्यम से करा ली गई थी। उक्त रिपोर्ट का आज ही प्रबंध मण्डल सदस्यों द्वारा अवलोकन कर लिया जावे। साथ ही आवेदकों की संख्या कम होने के कारण उनके आवेदन पत्रों का भी अवलोकन किया जा सकता है। परन्तु अधिकांश सदस्यों द्वारा आपत्ति की गई कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर आज विचार किया जाना सम्भव नहीं है, इस आशय से माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने सुझाव दिया कि भविष्य में नीतिगत निर्णय एवं इस विषय के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रति अविलम्ब प्रबन्ध मण्डल सदस्यों को प्रेषित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदया ने उक्त सुझाव को स्वीकार किया।

सदस्य सचिव ने अंत में पुनः सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29/10/2015 की पालना में शेष पदों हेतु चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं पर निर्णय कर चयनित अभ्यर्थियों को आज ही नियुक्ति प्रदान करने हेतु अनुशंसित नाम उपलब्ध कराए जावें ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना कर न्यायालय को सूचित किया जा सके। सदस्य सचिव के प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदया ने भी सहमति व्यक्त की। परन्तु प्रबंध मण्डल के अधिकांश सदस्यों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-05-2014 के अध्ययन एवं ए.पी.आई. स्कोर की जांच उपरांत ही कुछ समय पश्चात् सह आचार्य एवं आचार्य पदों हेतु अनुशंसा पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(भंवर सिंह चारण)
कुलसचिव